भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5438

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

तटरेखा के साथ एनएच का विकास

5438. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करकृगे किः

(क) समुद्री तट रेखा के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई का अंडमान और निकोबार द्वीप सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएच में अपग्रेड नहीं की गयी तटीय सड़कों की कुल लंबाई का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटीय राजमार्गों के महत्व को देखते हुए तटीय रेखा के किनारे एनएच को विकसित करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देशभर में तटीय सड़कों/राजमार्गों को एनएच में अपग्रेड करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है और इनका उन्नयन कब तक किये जाने की संभावना है; और

(च) क्या सरकार को तटीय राज्यों से राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): अंडमान और निकोबार द्वीप सहित समुद्र तट के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबाई इस प्रकार है: -

क्र. सं.	राज्य	लंबाई (किमी)
1.	आंध्र प्रदेश	974
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25
3.	दमन और दीव	22
4.	गोवा	262

5.	गुजरात	1362
6.	कर्नाटक	298
7.	केरल	692
8.	महाराष्ट्र	493
9.	ओडिशा	447
10.	पुडुचेरी	41
11.	तमिलनाडु	576
12.	पश्चिम बंगाल	14

(ख) से (च): मंत्रालय में समुद्र तट के साथ-साथ राज्यीय सड़कों सहित राज्यीय सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों आदि से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते है। मंत्रालय द्वारा संपर्कता की आवश्यकता, अंतर-प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यीय सड़कों की समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा किए जाने पर विचार किया जाता है।

मंत्रालय ने 'भारतमाला परियोजना' के अंतर्गत गैर-मुख्य पत्तनों के लिए सड़क संपर्क सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क को विकसित करने, तटवर्ती सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों के विकास और सागरमाला के साथ एकीकरण सहित फीडर सड़कों के विकास आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा शुरू की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लगभग 26,000 किमी लंबाई के आर्थिक गलियारों जिन पर स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों सहित सड़कों पर अधिकांश माल-भाडा यातायात के आवागमन की आशा की जाती है, के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा आर्थिक गलियारों, स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारों को प्रभावी बनाने के लिए लगभग 8,000 किमी लंबाई के अंतर गलियारों और लगभग 7,500 किमी लंबाई की फीडर मार्गों को अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में शहरों से होकर गुजरने वाले यातायात की भीड़भाड को कम करने और संभार-तंत्र क्षमता में संवर्धन करने के लिए रिंग रोड/बाइपास और उत्थापित गलियारों के विकास की परिकल्पना की गई है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 24.10.2017 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान ''भारतमाला परियोजना'' के चरण - 1 और केंद्रीय सड़क क्षेत्र की अन्य चल रही स्कीमों के लिए 6,92,324 करोड़ रु. के निवेश-अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ''भारतमाला परियोजना'' के चरण - 1 में लगभग 9,000 किलोमीटर लंबाई के आर्थिक गलियारे, लगभग 6,000 किलोमीटर लंबाई के अंतर-गलियारे और फीडर रोड, लगभग 5,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, लगभग 2,000 किलोमीटर लंबाई की सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़क, लगभग 2,000 किलोमीटर लंबाई की तटवर्ती और पत्तन संपर्क सड़क, लगभग 800 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रैसवे और एनएचडीपी के तहत लगभग 10,000 किलोमीटर शेष लंबाई का विकास शामिल है। इस कार्यक्रम को 2021-2022 में पूरा करने का लक्ष्य है।

*****